



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2017/आषाढ़ 15, 1939

No. 605]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2017

आयकर

सा.का.नि. 841(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 58/2017, दिनांक 03 जुलाई, 2017, जिसे सा.का.नि. 821(अ) दिनांक 03 जुलाई, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के,—

पृष्ठ 2 पर

(i) खण्ड (घ) में, उपखण्ड (i) में,—

“उधार देने वाले या निक्षेपकर्ता या वह व्यक्ति जिससे विनिर्दिष्ट अग्रिम प्राप्त किया गया है, उसका नाम, पता और स्थायी खाता संख्या (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो);” के स्थान पर, “भुगतानकर्ता का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो);” पढ़ें;

पृष्ठ 3 पर

(ii) खण्ड (ड.) में, उपखण्ड (i) में,—

“उधार देने वाले या निक्षेपकर्ता या वह व्यक्ति जिससे विनिर्दिष्ट अग्रिम प्राप्त किया गया है, उसका नाम, पता और स्थायी खाता संख्या (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो);” के स्थान पर, “भुगतानकर्ता का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हो);” पढ़ें;

[अधिसूचना सं. 60/2017/फा.सं. 370142/10/2017-टीपीएल]

सलिल मिश्रा, निदेशक (कर नीति और विधान)